न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 20 / 2023 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 करनाराम पुत्र जालूराम 2 हरचंदराम पुत्र जालूराम 3 जीवनलाल पुत्र जालूराम जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी गूगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 नरसीगाराम पुत्र गजाराम 2 अगरीदेवी पत्नी गजाराम 3 बूलाराम पुत्र नरसीगाराम 4 प्रहलादराम पुत्र नरसीगाराम 5 रतनलाल पुत्र चतराराम 6 छगनलाल पुत्र रतनलाल 7 मदनलाल पुत्र रतनलाल 8 खुमाणाराम पुत्र रतनलाल 9 रमेशकुमार पुत्र रतनलाल 10 जेठाराम पुत्र रतनलाल 11 नरेशकुमार पुत्र रतनलाल 12 कमलादेवी पुत्री रतनलाल 13 शांतिदेवी पुत्री रतनलाल 14 जतनीदेवी पत्नी भगवानाराम 15 पदमाराम पुत्र भगवानाराम 16 मूलाराम पुत्र भगवानाराम 17 टिकमाराम पुत्र पीराराम 18 फूलीदेवी पत्नी मोहनलाल 19 सुरेशकुमार पुत्र मोहनलाल 20 भीखाराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी गूगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 21 तहसीलदार शिव 22 मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 20 – श्री देवीलाल कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.08.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 510, 511, 514, 520, 567 / 788, 154, 155, 164, 688, 736, 519 रकबा क्रमशः 5.19, 7.04, 17.10, 87.14, 10.08, 84.17, 46.08, 188.15, 34.12, 56.06, 0.02 बीघा कुल रकबा 541.13 बीघा की आयी हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 मुतवफी हरदान पुत्र हिमता के वशज एवं उत्तराधिकारी पौत्र, प्रपौत्र व पोत्रवधु आदि है। उक्त विवादित आराजी का पर्चा लगान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के पूर्व पुरूष हरदान पुत्र हिमता के नाम से जारी हुआ था। स्व0 हरदान के चार जाइंदा पुत्र थे जो क्रमशः जालूराम, गजाराम, पीराराम, चतराराम थे। पूर्व पुरूष हरदान के फौत होने से पूर्व ही उसके पुत्र चतराराम का निधन हो गया था। मुतवफी हरदान के फौत होने पर उनके तीनो पुत्रो एवं चतराराम के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारीयो के नाम से नामातरकरण पारित किया जाना था, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा भूलवश गजाराम, पीराराम एवं चतरा पुत्र हिमता के मुतवफी हरदान जीवनकाल मे ही फौत होने पर उसके पुत्र रतनालाल के नाम से नामातरकरण पारित किया गया, जबकि वादीगण के दादा की फौतगी पर उनके वशज जालूराम का नाम भी साथ मे दर्ज किया जाना था, जो रह गया। जबकि जालूराम मुतवफी हरदान पुत्र हिमता के सबसे बड़े जाईन्दा पुत्र थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति मे पुत्र / पुत्री / पौत्र / पौत्री / प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ 1 / 4 खातेदारी हिस्सा बनता है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी मे वादीगण द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 14, 15 व 17 से 20 द्वारा स्वयं न्यायालय मे उपस्थित होकर तथा शेष

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर समाज के मौजीज लोगों की समझाईश व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। राजीनामा अनुसार वादी संख्या 1 करनाराम पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 154 मे से 13.07 बीघा भूमि, वादी संख्या 2 हरचंदराम पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 154 मे से 13.07 बीघा तथा वादी संख्या 3 जीवनलाल पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 514 मे से 06 बीघा तथा खसरा नम्बर 154 में से 07.06 बीघा कुल रकबा 13.06 बीघा भूमि बंट में दी जाकर पक्षकारान् की खातेदारी घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई। चूंकि वादीगण द्वारा विवादित आराजी के समस्त खसरा में से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा हेतु अनुतोष चाहा गया था, परन्तु पक्षकारान् के आपसी सहमति व रजामंदी से खसरा नम्बर 154 व 514 में वादीगण को खातेदारी भूमि दिये जाने बाबत् सहमति बनी है। शेष खसरा पूर्ववत प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रहेंगे, जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहेगा तथा न ही वादीगण या उनके वारिशान द्वारा भविष्य में उक्त विवादित आराजी के संबंध में किसी प्रकार का उजर/ऐतराज किया जायेगा एवं न ही कोई राजस्व वाद या अपील पेश की जायेगी। प्रतिवादी संख्या 21 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहा है।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी – अपनी बहस में राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए माफिक राजीनामा वाद को स्वीकार किया जाकर तद्नुसार खातेदारी घोषणा का आदेश पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार मुतवफी हरदान पुत्र हिमता के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। मुतवफी हरदान के फौत होने पर उसके फौतगी नामांतरकरण में उनके समस्त विधिक वारिशान को बहक बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाना था, किन्तु भूलवंश वादीगण के दादा का नाम फौतगी नामांतरकरण में वंचित रह जाने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर माफिक राजीनामा वाद स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। राजीनामा अनुसार वादी संख्या 1 करनाराम पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 154 में से 13.07 बीघा भूमि, वादी संख्या 2 हरचंदराम पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 154 में से 13.07 बीघा तथा वादी संख्या 3 जीवनलाल पुत्र जालूराम को मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 514 में से 06 बीघा तथा खसरा नम्बर 154 में से 07.06 बीघा कुल रकबा 13.06 बीघा भूमि बंट में दी जाकर पक्षकारान् की खातेदारी घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई। चूंकि वादीगण द्वारा विवादित आराजी के समस्त खसरा में से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा हेतु अनुतोष चाहा गया था, परन्तु पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति व रजामंदी से खसरा नम्बर 154 व 514 में वादीगण को खातेदारी भूमि दिये जाने बाबत् सहमति बनी है। शेष खसरा नम्बर की भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रहेगी। उभयपक्ष पक्षकारान् एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार माफिक राजीनामा वाद को स्वीकार करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति एवं रजामंदी होने तथा अधिवक्तागण द्वारा निवेदन करने पर वाद को माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तद्नुसार खातेदारी घोषित करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 154 रकबा 84.17 बीघा में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक की 13.07–13.07 बीघा खातेदारी घोषित की जाकर तथा खसरा नम्बर 514 रकबा 17.10 बीघा में से वादी संख्या 3 की 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 84.17 बीघा में से वादी संख्या 3 की 07.06 बीघा कुल रकबा 13.06 बीघा खातेदारी घोषित की जाकर तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। शेष खसरा नम्बर की भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रहेगी। उक्त निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। उभयपक्ष पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner